भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1237

जिसका उत्तर शुक्रवार, 6 फरवरी, 2026/17 माघ, 1947 (शक) को दिया जाना है।

सब्सिडी वाले उर्वरकों की आपूर्ति

1237. डॉ. कडियम काव्य:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तेलंगाना के वारंगल जिले में, विशेषकर बुवाई के मौसम के दौरान, सब्सिडी युक्त उर्वरकों की उपलब्धता एवं समय पर आपूर्ति से संबंधित मुद्दों पर कोई आकलन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त जिले में गत तीन वर्षों के दौरान उर्वरकों (यूरिया/डीएपी/एमओपी/एनपीके) के आवंटन, आपूर्ति एवं बिक्री का वर्ष-वार तथा उर्वरक-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या वारंगल जिले में उर्वरकों की कमी, अन्यत्र उपयोग, कालाबाज़ारी अथवा अधिक मूल्य वसूली के कोई मामले सामने आए हैं, यदि हां, तो इस संबंध में की-गई-निरीक्षण कार्रवाइयों तथा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और
(घ) प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी)-सक्षम उर्वरक वितरण (पीओएस डिवाइस) के माध्यम से समय पर उपलब्धता एवं मूल्य अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है तथा उक्त जिले में संतुलित उर्वरक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई समयबद्ध कार्ययोजना क्या है?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): उर्वरक विभाग का अधिदेश राज्य स्तर पर उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है। तथापि, राज्य के भीतर जिला स्तर पर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

तदनुसार, तेलंगाना राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वारंगल ज़िले में पिछले तीन वर्षों के दौरान उर्वरकों जैसे यूरिया, डीएपी, एमओपी तथा एनपीके की आवश्यकता, उपलब्धता एवं बिक्री से संबंधित विवरण निम्नानुसार है:

(मात्रा एमटी में)

वर्ष/उर्वरक	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री
2022-23			
यूरिया	70000	68012	65415
डीएपी	8000	7912	7655
एमओपी	3000	2142	1718
एनपीके	32000	29862	26281
2023-24			
यूरिया	79200	81260	66826
डीएपी	8230	8009	7577
एमओपी	3000	2301	2053
एनपीके	34000	31062	29229
2024-25			
यूरिया	80500	82069	68167
डीएपी	8000	7906	7737
एमओपी	3000	2901	2665
एनपीके	33300	32069	29927
सहज उपलब्धता का प्राथमिक संकेतक = उपलब्धता > आवश्यकता			
सहज उपलब्धता का द्वितीयक संकेतक = उपलब्धता > बिक्री			

(ग): उर्वरक संबंधी विपथन, कालाबाजारी और अधिक मूल्य निर्धारण के मुद्दों का समाधान करने के लिए उर्वरकों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत एक आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया गया है और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत अधिसूचित किया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकारों को उक्त कदाचारों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। इन कदाचारों के संबंध में उर्वरक विभाग के स्तर पर प्राप्त होने वाली कोई भी शिकायत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के अंतर्गत उचित कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकार को भेजी जाती है।

तदनुसार, तेलंगाना राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, वारंगल में उर्वरक संबंधी कमी, विपथन, कालाबाजारी अथवा अधिक मूल्य निर्धारण के किसी बड़े मामले की सूचना नहीं मिली थी। खरीफ-2025 के दौरान एफसीओ, 1985 के प्रावधानों के उल्लंघन पर डीलरों के खिलाफ दो मामले दर्ज किए गए थे। थोक और खुदरा स्थलों पर जिला प्राधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण और औचक जांच की गई। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के उपबंधों के अनुसार किसी भी मामूली विचलन का तुरंत समाधान किया गया था।

(घ): तेलंगाना राज्य सहित राज्यों में उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक मौसम में निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं -

(i) प्रत्येक फसल मौसम के शुरू होने से पहले, कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू), सभी राज्य सरकारों के परामर्श से, उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है।

(ii) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा अनुमानित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्यों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक आवंटित करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।

(iii) देश भर में सभी प्रमुख राजसहायता प्राप्त उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है।

(iv) राज्य सरकारों को नियमित रूप से सलाह दी जाती है कि आपूर्तियों को कारगर बनाने के लिए वे समय पर मांग-पत्र भेजकर निर्माताओं और आयातकों के साथ समन्वय करें।

इसके अलावा, उर्वरकों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अंतर्गत किसानों को सब्सिडी प्राप्त उर्वरकों की बिक्री आधार प्रमाणीकरण आधारित बिक्री केन्द्र (पीओएस) के माध्यम से की जाती है। आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एसएमएस मोड के माध्यम से किसान को चालान पहुंचाया जाता है, जिसमें उत्पाद की एमआरपी, भारत सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी और किसान द्वारा खरीदी गई मात्रा का विवरण होता है। इससे आधार की मध्यस्थता वाली पीओएस बिक्री के माध्यम से सब्सिडी वाले उर्वरकों का मूल्य अनुपालन सुनिश्चित होता है।

****